बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक :–

02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24../एम०, बालू एवं पत्थर सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों में से एक है। राज्य में बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बालू की सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत नदी है। नदी निकायों से बालू की निकासी आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के साथ विनियमित किया जाना है।

खनिज के अवैध खनन / प्रेषण से प्राकृतिक संशाधनों का अनियंत्रित दोहन, पर्यावरण क्षति एवं राजस्व भी प्रभावित होता है। खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने से अवैध खनन की संभावना क्षीण किया जा सकता है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–44 के तहत राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है और कतिपय विनिर्देशनों पर दृढ़ रहने की अपेक्षा कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि खनिज लदे वाहन के लिये G.P.S का अधिष्ठापन आवश्यक किया गया है। खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर निर्धारित विशिष्ट रंग के प्रयोग से अवैध परिवहन को चिन्हित करने में आसानी होगी।

अतः नियम–44 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनिर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ लाल (SIGNAL RED) रंग से बीस ईंच चौड़ी पट्टी पेंट की जाएगी। उक्त पट्टी पर सफेद रंग से 06 (छः) इंच फॉन्ट साईज के शब्दों में खनन वाहन–निबंधन संख्या (खनन सॉफ्ट में निबंधन संख्या) एवं वाहन का निबंधन संख्या अंकित जाना अनिवार्य किया जाता है। कोई भी वाहन मालिक / परिवहनकर्त्ता G.P.S. एवं उपरोक्त वर्णित विशिष्ट रंग की पट्टी के बिना खनिज का परिवहन नहीं करेंगे।

2. बालू बंदोबस्तधारी की यह बाध्यता होगी कि वह विशिष्ट रंग से "खनन वाहन–निबंधन संख्या " अंकित किये गये एवं G.P.S अधिष्ठापित वाहनों को ही परिवहन चालान निर्गत करेंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी होगा एवं इसके पश्चात् विशिष्ट रंग से खनन वाहन–निबंधन संख्या अंकित नहीं किये गये वाहनों के लिए ई–चालान निर्गत नहीं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(धर्मेन्द्र सिंह)

सचिव

P.T.O.

ज्ञापांकः–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–................... / एम0, पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाए।

ह0 / –
सचिव

ज्ञापांकः–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–................... / एम0, पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सचिव

ज्ञापांकः–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–................... / एम0, पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सचिव

ज्ञापांकः–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–1882 / एम0, पटना, दिनांकः–15/05/24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव कोषांग / निदेशक कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव